

निगम-4855/2018/रीवा/भू-शु

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर  
सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

92



विनोद शर्मा तनय श्री वंशगोपाल शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम  
भलुहा पोस्ट मोहरबा 481 थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा  
(म0प्र0)

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- रोहणी प्रसाद तनय रामस्वरूप ब्रा0 निवासी ग्राम पटना तहसील  
सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)
- 2- श्रीमती यशोमति पत्नी श्री रामसुमिरन ब्रा0 निवासी ग्राम भलुहा  
तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा  
सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक  
1225/अपील/2017-18 नामी  
प्रकरण यशोमति विरुद्ध रोहणी  
प्रसाद आदेश दिनांक 26.04.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य निम्नानुसार हैं :-

- 1- यह कि गैरनिगरानीकर्ता को आराजी नम्बर 409 रकवा 2.74  
ए0, 410 रकवा 2.65 ए0, 411 रकवा 6.63 ए0, 401 रकवा 2.  
94 ए0, 412 रकवा 0.91 ए0 मूल भूमिस्वामी प्रयागराम व मु0  
इन्द्रवती से जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.06.73 के  
माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसका जरिये वसीयतनामा के आधार  
पर सेमरिया के प्र0 क्र0 90/अ-6/94-95 आदेश दिनांक


विनोद शर्मा

92

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 4855 रीवा/18 जिला- रीवा

विरोध शमन विरुद्ध रोहिणी शलाप आ.

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अशोक शिरोकर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>1225/अ.पी.ल./17-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>26.4.18</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>07-08-2018</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	